

संख्या: शिक्षा-एच(20)जी-जलपान/2016
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
हिमाचल प्रदेश



दिनांक: शिमला-171001

निविदा सूचना

अवधि जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक शिक्षा निदेशालय हि० प्र० शिमला-1 की कैंन्टिन चलाने के लिए सील बन्द लिफाफे में निविदाएँ व्यवसायिक खान-पान प्रबन्धकों से आमन्त्रित की जाती है। जिनके पास इस सम्बन्ध में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए), वे निविदाएँ दिनांक 18.01.18 को 2.00 बजे या इससे पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन) शिक्षा निदेशालय के पास प्रस्तुत/प्रेषित करें। निविदाएँ उसी दिन सांय 3.00 बजे खोली जाएंगी। टेन्डर के साथ प्रतिभूति राशी 10,000/- रुपये नकद रूप से या बैंक ड्राफ्ट जो कि शिक्षा निदेशक उच्च के नाम हो, जमा करवाना होगा अन्यथा टेन्डर स्वीकार नहीं होगा। लिफाफे के उपर निविदाएँ कैंन्टिन शिक्षा निदेशालय 2018-2019 अंकित किया जाए। विभाग द्वारा खाध्य पदार्थों की निर्धारित दरें निम्नलिखित शर्तों पर आमन्त्रित हैं।

- 1) इस टेन्डर की अवधि कम से कम एक वर्ष होगी 31.03.2019
- 2) कैंन्टिन के लिए फर्नीचर इत्यादि विभाग का होगा, उसे सुरक्षित रखना कैंन्टिन ठेकेदार का कर्तव्य होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की टूट-फूट होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति कैंन्टिन ठेकेदार को करनी होगी।
- 3) कैंन्टिन खोलने का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 6.00 बजे हर रोज कार्यालय खुले रहने के प्रत्येक दिन होगा। इस समय में परिवर्तन शिक्षा निदेशक के लिखित आदेश से ही होगा।
- 4) कैंन्टिन के लिए पानी/बिजली के बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
- 5) यदि कैंन्टिन ठेकेदार कर्मचारियों /विभाग के हित में कार्य नहीं करेगा तथा खाध्य पदार्थों की गुणवत्ता /वजन/दर ठीक न पाये जाने पर उसे एक माह का नोटिस देकर उसका टेन्डर रद्द किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उक्त कमी के कारण उसकी प्रतिभूति राशी में से शिक्षा निदेशक के निर्णयानुसार राशी जब्त की जा सकेगी।
- 6) कैंन्टिन ठेकेदार को शिक्षा निदेशक के नाम बिजली व पानी की प्रतिभूति (जमानत) राशी अलग से 10,000/- रुपये कोषाध्यक्ष के पास जमा करवानी होगी।

- 7) कौन्टिन होल्डर को कौन्टिन के परिसर को प्रतिदिन साफ रखना होगा । कौन्टिन में कोई बाहरी व्यक्ति निवास नहीं करेगा तथा कौन्टिन कर्मचारी ही कौन्टिन में रात्री ठहराव कर सकेंगे । अनाधिकृत व्यक्ति के कौन्टिन में पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना सूचना दर ठेका रद्द कर दिया जाएगा ।
- 8) कौन्टिन में नशीली वस्तुएं जैसे शराब , सिगरेट , तम्बाकू गुटका इत्यादि रखने पीने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगा ।
- 9) यदि उपरोक्त दी गई सभी हिदायतें / शर्तें स्वीकार हो तो निविदा देने वाला अपनी निविदा शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश शिमला-1 को दिनांक 15.01.18 को 2.00 बजे तक मु0 10,000/- प्रतिभूति राशी सहित प्रस्तुत / प्रेषित कर सकता है। बन्द लिफाफे पर टेन्डर शिक्षा निदेशालय कौन्टिन अंकित होना चाहिए ।
- 10) ठेकेदार प्रतिमास अग्रिम रूप से प्रशासन के पास मुवलिंग 2000/- रूपये की राशी जमा करवायेगा जो कौन्टिन के रख रखाव के लिए खर्च की जाएगी ।
- 11) जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत नहीं होगी उसे उसकी जमानत राशी का भुगतान निविदा का निर्णय होने के तुरन्त बाद वापिस कर दिया जाएगा ।
- 12) किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार शिक्षा निदेशक को होगा जिसके लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी ।
- 13) किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार संयुक्त शिक्षा निदेशक(प्रशासन) को होगा ।
- 14) संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन) के निर्णय के विरुद्ध अपील शिक्षा निदेशक को की जा सकेगी तथा शिक्षा निदेशक द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम तथा सभी को मान्य होगा ।
- 15) किसी भी वाद विवाद का निपटारा शिमला क्षेत्र में पड़ने वाले न्यायलय में ही होगा ।



शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश